विविध **बैंक प्रकरण संख्या 197/2022**(GCMS : **2022/299**) **ए यू स्मॉल फाईनेंस बैक लिमिटेड** (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4–ई–8 जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड, नजदीक गौड हास्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियों कलेक्शन मैनेजर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद **बनाम** **1. शाहिद नाजर** पुत्र सुल्तान खान निवासी वार्ड नं 2, 15 एस.जी.एम.,वार्ड नं. 2, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर 2. सुल्तान खान पुत्र मिरदाद खान निवासी वार्ड नं 2, 15 एस.एच.पी.डी.,11 एस.जी.एम., श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.01.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र मेहन्दीरता उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 23.12.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण शाहिद नाज़र एवं सुल्तान खान** को ऋण सुविधा के रूप में कुल 4.00 लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) का ऋण दिनांक 19.03.2021 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुल्तान खान की सम्पत्ति पट्टा नं. 41, 15 एस.एच.पी.डी. (क्षेत्रफल 2700 स्कायर फुट)ग्राम पंचायत सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 14.07.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 16.07.2022 को 4,32,257/– रूपये बकाया राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 16.07.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस का नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.07.2022 से भिजवाये गये है तथा दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 03.08.2022 को प्रकाशित करवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई अप्रार्थी सुल्तान खान की सम्पत्ति पट्टा नं. 41, 15 एस.एच.पी.डी. (क्षेत्रफल 2700 स्कायर फुट)ग्राम पंचायत सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण शाहिद नाज़र एवं सुल्तान खान को** 4.00 रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 19.03.2021 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुल्तान खान ने अपनी सम्पत्ति पट्टा नं. 41, 15 एस.एच.पी.डी. (क्षेत्रफल 2700 स्कायर फुट)ग्राम पंचायत सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों का खाता दिनांक 14.07.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गये। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 16.07.2022** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.07.2022 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थीगण के धारा 13(2) के [illegible]णामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपल[illegible] 13(2) का अप्रार्थी के नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रका[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी सुल्तान खान की सम्पत्ति पट्टा नं. 41, 15 एस.एच.पी.डी. (क्षेत्रफल 2700 स्कायर फुट)ग्राम पंचायत सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 16.07.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 16.07.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.07.2022 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 03.08.2021 को प्रकाशित करवाये है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। ... अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और ... के अनुसार नोटिस पर **कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत** किया है ... ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुल्तान खान के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का **उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी सुल्तान खान द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा नं. 41, 15 एस.एच.पी.डी. (क्षेत्रफल 2700 स्कायर फुट)ग्राम पंचायत सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested